(438

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.8.2014 को अपराह्न 4.00 बजे से आयोजित मेगा प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों के प्रोत्साहन/अनुदान हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

i. मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची

ii. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

iii. सचिव–सह–वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची

iv. सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची

v. अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची

vi. संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची

vii. डा0 डी0के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची

viii. श्री एस0एन0मिश्रा, मुख्य अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम, धुर्वा, राँची के प्रतिनिधि

ix. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची

x. विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि

–: कार्यवाही :–

1. दिनांक 28.2.2014 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।
2. गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष रखा गया, **अनुलग्नक "क"** पर संलग्न है।
3. गत बैठक में स्क्रीनिंग समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि इकाई के विस्तार/विशाखन के पूर्व स्थापित क्षमता एवं विस्तार/विशाखन के क्रम में स्थापित क्षमता के pro-rata (यथा अनुपात) में वाणिज्यकर विभाग से प्रोक्षा बिक्री कर का प्रमाण

पत्र में अंकित राशि की क्षमता के आधार पर देय राशि की गणना की जाय तथा इस प्रकार के मामलों को पुनः समीक्षा कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उपर्युक्त निदेश के क्रम में विस्तार/विशाखन करनेवाली गत बैठक में लंबित ऐसी तीन इकाईयों के मामलों जिसकी समीक्षा पुनः विस्तृत रुप से की गयी।

समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि झारखण्ड औद्योगिक नीति 2001 की कंडिका 29.11 के अन्तर्गत मेगा इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने हेतु ज्ञापांक 1885 दिनांक 10.6.2003 के द्वारा अधिसूचित मापदण्ड के क्रम में मेगा इकाईयों के द्वारा वास्तविक भुगतान किए गए वाणिज्यकर के विरुद्ध पूंजीगत अनुदान के भुगतान हेतु उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2408 दिनांक 26.10.2010 में अंकित प्रावधानों के आलोक में पूर्व में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त कर अनुदान का भुगतान किया गया है।

उक्त संकल्प के अनुलग्नक–1 की कंडिका–9 में प्रावधानित है कि "In case of Expansion/Modernization/Diversification, the unit is required to submit Tax certificate for incremental Tax paid on additional production, prior to introduction of VAT Act and under VAT Act, separately for the relevant period (s). In case, where Commercial Tax department certify the Tax paid, for Unit as a whole and can not certify the said break up due to lack of information, the Unit is required to get the amount segregated by practicing Chartered/Cost accountant, duly reconciled with the said Tax certificate.

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में स्क्रीनिंग समिति के द्वारा विस्तार/विशाखन करनेवाली तीनों इकाईयों के मामले में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि वाणिज्यकर भुगतान के विरुद्ध पूंजीगत अनुदान के मामले में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2408 दिनांक 26.10.2010 के प्रावधान के ही अनुसार समीक्षा कर उद्योग विभाग प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तैयार कर समिति के समक्ष विचारार्थ रखे। साथ ही समिति द्वारा यह जानने की इच्छा व्यक्त की गयी कि अनुदान प्राप्त इकाइयों के द्वारा राज्य में उत्पादन का ग्रोथ यानी manufacturing productivity किस प्रकार बढ़ाया गया है? अतः यह भी अगली बैठक के प्रस्तुतीकरण में शामिल किया जाए।

4. वाणिज्यकर उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 238 दिनांक 09.6.2014 के द्वारा निदेशक उद्योग को सम्बोधित पत्र के माध्यम से गिरिडीह जिले के सभी उद्योगों के पूंजीगत अनुदान की राशि रोके जाने से संबंधित पत्र को समिति के समक्ष रखा गया।

समिति के समक्ष यह रखा गया कि समिति के अनुशंसा एवं माननीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त अनुदान के भुगतान के पूर्व सभी संबंधित विभागों यथा– वाणिज्यकर विभाग, विद्युत पर्षद्, जल संसाधन विभाग एवं अन्य के बकाये से संबंधित सूचना प्राप्त कर ही अनुदान का भुगतान किया जाता है। समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के उपरान्त यदि कोई देयता किसी इकाई की बनती है तो संबंधित विभाग उक्त बकाये राशि के वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, गिरिंडीह अंचल से पूंजीगत अनुदान रोके जाने संबंधित पत्र के औचित्य के संबंध में सचिव वाणिज्यकर विभाग के द्वारा वाणिज्यकर उपायुक्त, गिरिडीह से स्पष्टीकरण पूछा जाय। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित विभागों से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो अनुशंसित इकाईयों के अनुदान का भुगतान किया जाय।

5. झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि0 के पत्रांक 926 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा बैठक में उपस्थापित इकाईयों से संबंधित बकाये की सूचना उपलब्ध करायी गयी। बैठक में उपस्थित मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री आदित्य बिरला केमिकल लि0, पलामू के विरुद्ध 194756323 रुपये का बकाया (मई 2014 तक) Fuel surcharge एवं ED से संबंधित है जिससे संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के समय से लंबित है। सर्वश्री जे0एम0टी0 ऑटो लि0, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर के विरुद्ध 1714341 रुपये की वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए जाने की सूचना दी गयी तथा सर्वश्री रामाकृष्णा फोर्जिंग लि0 से संबंधित बकाये के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में WP(c) No. 4855/2009 एवं सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP सं0 26380/2008 के तहत लंबित सूचित किया गया।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य सचिव के द्वारा सूचित किया गया कि विचाराधीन सभी इकाईयों के CTO निर्गत हैं। अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग के

द्वारा विभिन्न इकाईयों के विरुद्ध जल कर के मामले लंबित बताया गया, परन्तु उनके द्वारा बताया गया कि demand raise नहीं किया गया है। समिति द्वारा बिना demand raise के बकाया नहीं माना गया।

मुख्य सचिव के द्वारा निदेशित किया गया कि यह समिति बकाया वसूलने का फोरम नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा लागू की गयी नीति के आलोक में प्रोत्साहनों पर विचार किया जाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन विभागों के द्वारा पत्र के माध्यम से बकाये की सूचना दी गयी है। उक्त बकाये के संबंध में संबंधित इकाइयों के साथ निदेशक, उद्योग एक बैठक कर लंबित रहने से संबंधी यथास्थिति की जानकारी प्राप्त कर अगली बैठक में रखा जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/– सचिव उद्योग विभाग झारखण्ड, राँची	ह0/– सचिव–सह–वाणिज्यकर आयुक्त झारखण्ड, राँची	ह0/– प्रधान सचिव वित्त विभाग झारखण्ड, राँची	ह0/– मुख्य सचिव झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 2754 /राँची, दिनांक 24/09/2014

09/उ0नि0अनुदान मेगा प्रो0 बैठक–01/2006 (खण्ड-I)

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव–सह–वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची/डा0 डी0 के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धुर्वा, राँची/श्री एस0एन0मिश्रा, मुख्य अभियंता, (वाणिज्य एवं राजस्व) झारखण्ड राज्य ऊर्जा विकास निगम लि0, राँची/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24-09-14

उद्योग निदेशक,
झारखण्ड, राँची।